

क्रमांक:-प.1(ग) ()का/एसएमई/डीएलबी/18/11107

दिनांक:-23/8/18

-: आदेश :-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनस्थ संवर्ग एवं सफाई वर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम कर्मिक	पदनाम	कहां से	कहां को
1	श्री काशीराम	सफाई कर्मचारी	पीलीबंगा	पदमपुर
2	श्री दर्शन कुमार	सफाई कर्मचारी	श्रीकरणपुर	जालौर
3	श्री देशराज	सफाई कर्मचारी	श्रीकरणपुर	गुलाबपुरा
4	श्री संतराम	सफाई कर्मचारी	श्रीकरणपुर	राजलदेसर
5	श्री शिवा कुमार	सफाई कर्मचारी	श्रीकरणपुर	पदमपुर
6	श्री विजय कुमार/श्री मखन राम	सफाई कर्मचारी	रायसिंहनगर	श्रीगंगानगर
7	श्रीमती मधुबाला/श्री बाबू कुमार	सफाई कर्मचारी	रायसिंह नगर	श्रीगंगानगर

उक्त कर्मचारीयो को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिए कार्यमुक्त कर शिघ्र विभाग को अवगत करावे।

नोट:-

01. स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
02. स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का भुगतान किया जावे।
03. यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
04. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
05. वर्ष 2018 में लाटरी के द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारीयो का उक्त सूची में नाम हो तो स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक:-23/8/18

क्रमांक:-प.1(ग) ()का/एसएमई/डीएलबी/18/11108-39

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, स्वा0 शा0 वि0, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वा0 शा0 वि0, राज0 जयपुर।
03. सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/नगर परिषद/पालिका/पीलीबंगा/श्रीकरणपुर/रायसिंहनगर/पदमपुर/जालौर/गुलाबपुरा/राजलदेसर/श्रीगंगानगर
04. उप निदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर/जोधपुर/अजमेर/कोटा।
05. संबंधित कर्मचारी.....।
06. सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ वीरेन्द्र सिंह)

उप निदेशक (प्रशासन)